



सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMMISSIONER
CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE,
VADODARA-1
CENTRAL GST BHAWAN,
RACE COURSE CIRCLE, VADODARA - 390007
Phone No. 0265-2330499 / Fax No. 0265-2339271



PRESS NOTE

BILL TRADING RACKET BY ISSUE OF FAKE GST INVOICES AMOUNTING TO RS. 75 CRORES (APPROX.) BUSTED BY VADODARA-I CGST COMMISSIONERATE

Vadodara-I Central GST Commissionerate arrested one Kapadwanj-based industrialist here in Vadodara on 21.12.2018. He was sent to judicial custody till 03.01.2019 by the Hon'ble Additional Chief Judicial Magistrate, Kapadwanj.

The case involves the issuance of fake invoices & availment of input tax credit under GST law without any physical movement of goods said to be consigned through such invoices. During the search operations, officers have busted a huge racket of fraudulent companies engaged in trading of fake tax invoices for availing GST Credit relating to iron & steel industry.

Acting upon specific intelligence and supported by data based analysis, the officers of Preventive Wing of Vadodara-I Central GST Commissionerate raided various locations simultaneously and found incriminating documents pertaining to fake companies involved in bogus transactions without any actual supply of goods.

Based on records/documents seized during the searches and the confessional statement of the Kapadwanj-based industrialist, involvement of various persons including professionals with the intent to fraudulently inflate company's turnover by merely issuing fake GST invoices to the tune of Rs. 75 Crores was detected. About Rs.14 Crores worth of fake GST credit was passed on by the company run by the Kapadwanj-based industrialist to certain Ahmedabad-based firms. Based on fake invoices valued at about Rs.70 Crores received through courier and other means, the said company also availed more than Rs.12 Crores fake input tax credit, resulting in huge loss to the Government exchequer.

Further investigations are underway and the quantum of tax evasion is expected to go up. The possibility of existence of several other fake firms involved in issuing fake invoices without the movement of goods cannot be ruled out.

Place : Vadodara
Date : 21.12.2018



धनंजय सिंह
Assistant Commissioner (Preventive)
Central GST & Central Excise,
Vadodara-I Commissionerate.



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, वडोदरा-1,
Office of the Commissioner, Central Goods &
Service tax, Vadodara-1,
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर भवन, रेसकोर्स सर्कल,
वडोदरा-390007
Central G.S.T. Bhawan, Race Course Circle,
Vadodara-390007



प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, वडोदरा-1 आयुक्तालय द्वारा (लगभग) 75 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी चालान के जरिए बिल ट्रेडिंग रैकेट का पर्दाफाश किया।

दिनांक 21.12.2018 को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, वडोदरा-1 आयुक्तालय ने कपडवंज स्थित एक उद्योगपति को वडोदरा में गिरफ्तार किया। कपडवंज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उसे दिनांक 03.01.2019 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

यह मामला चालान में बताई वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही किए बिना नकली चालान जारी करके सम्बन्धित जीएसटी नियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने से सम्बन्धित है। छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने नकली कंपनियों द्वारा लोहे और स्टील उद्योग से सम्बन्धित नकली कर चालान जारी करके जीएसटी क्रेडिट लेने सम्बन्धी बहुत बड़े रैकेट को उजागर किया है।

विशेष सूचना तथा आंकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण पर कार्रवाई करते हुए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, वडोदरा-1 आयुक्तालय की निवारक शाखा ने विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी की तथा वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति किए बिना नकली कंपनियों के झूठे लेनदेन से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद किए।

छापेमारी के दौरान जब्त किए आंकड़ों/दस्तावेजों तथा कपडवंज स्थित उद्योगपति के इकबालिया ब्यान के आधार पर 75 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी चालान जारी करके कंपनी के टर्नओवर को धोखाधड़ी पूर्वक बढ़ाचढ़ा कर दिखाने में विभिन्न व्यवसायिक व्यक्तियों सहित अन्य व्यक्तियों के इसमें शामिल होने का पता चला है। कपडवंज स्थित उद्योगपति की कंपनी ने लगभग 14 करोड़ रुपए का जाली जीएसटी क्रेडिट अहमदाबाद स्थित कुछ कंपनियों को दिया है। कूरियर से तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त हुए लगभग 70 करोड़ रुपए के मूल्य के नकली चालान के आधार पर उक्त कंपनी ने 12 करोड़ रुपए का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है।

अभी इस मामले की आगे की जांच जारी है तथा कर अपवंचन की राशि में बढ़ोतरी होने की भी पूरी संभावना है। वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति किए बिना नकली चालान जारी करने सम्बन्धी मामले में अन्य दूसरी नकली कंपनियों के शामिल होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

स्थान: वडोदरा
दिनांक 21.12.2018



धनंजय सिंह
सहायक आयुक्त (निवारक)

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
वडोदरा-1 आयुक्तालय